भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1034
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

लंबित मामले

1034. श्री नव कुमार सरनीयाः
श्री सौमित्र खान:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में न्यायालयों की कुल संख्या और प्रकार का राज्य और जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में सेवारत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है और देशभर में न्यायिक रिक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों सहित देश में अब तक कितने मामले लंबित हैं ;

(ङ) क्या देश में सभी न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार राज्य न्यायालयों उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही भिन्न- भिन्न स्कीमों के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर दिए हैं ।

(ख) : देश में न्यायालयों के पदाक्रम के अनुसार, भारत का उच्चतम न्यायालय शीर्ष न्यायालय है जिसमें संविधान द्वारा मूल, अपीली और परामर्शी अधिकारिता निहित की गई है । प्रत्येक राज्य में या राज्यों के समूह में उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक तंत्र के शीर्ष पर हैं जिसमें संविधान द्वारा मूल, अपीली और अन्य अधिकारिताएं निहित होती हैं । उच्च न्यायालयों के पास अपनी अधिकारिता के भीतर सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने की शक्तियां भी होती हैं । उच्च न्यायालयों की सूची **उपाबंध-2** पर दी गई है । जिला और सत्र न्यायालय, जिला स्तर पर उच्चतम न्यायिक न्यायालय है । जिला और सत्र न्यायालय ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों का

प्रत्यक्ष अधीक्षण करता है जो सिविल और दांडिक मामलों को निपटाते हैं । जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों की सूची **उपाबंध-3** पर दी गई है ।

(ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्ति की स्थिति के ब्यौरे क्रमश: **उपाबंध-4** और **उपाबंध-5** पर दिए गए हैं ।

(घ) : देश में लंबित मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	लम्बन निम्नलिखित तारीख तक
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	70,038 (08.11.2021)*
2	उच्च न्यायालय	56,42,858 (29.11.2021)**
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	3,79,42,466 (29.11.2021)**
4.	पश्चिमी बंगाल	
	उच्च न्यायालय	2,26,427 (30.11.2021)**
	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	25,51,939 (3;.11.2021) **

स्रोत

*भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट

**राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि,

अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना :** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8709.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या, जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 20,565 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 31.10.2021 तक 18,142 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,841 न्यायालय हाल और 1,807 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्तस अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 01.07.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 19.56 करोड़ मामलों तथा 15.72 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में अवस्थान्तर को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअलसुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए

उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और ओडिशा में पन्द्रह वर्चुअलन्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 01.11.2021 तक इन न्यायालयों ने 99 लाख से अधिक मामले निपटाए तथा 193.15 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी। कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.10.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,01,77,289 सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 55,24,021 (कुल 1.57 करोड़) सुनवाइयां की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 29.10.2021 तक 1,50,692 सुनवाइयां कीं ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 688 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 583 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
29.11.2021	24,485	19,294

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी :** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है । भूतकाल में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मामले को उठाया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति की रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना :** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल : चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.10.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 914 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 681 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 381 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.10.2021 तक 64217 मामले निपटाए । एफटीएससी की स्कीम को और दो वर्षों (2021-23) तक 1572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, निरन्तर रखने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ड.) : ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी । ई-न्यायालयों का चरण-1 2014 में समाप्त हुआ था जिसमें 13,672 न्यायालय स्थल कम्प्यूटरीकृत किए गए थे । परियोजना का चरण-2, 2015 में प्रारंभ किया गया था जिसके अधीन अब तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालय कंप्यूटरीकृत किए गए हैं ।

(च) : भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुरक्षित जानकारी के अनुसार वर्तमान में उनके पास 18, 57,623 अधिवक्ता रजिस्ट्रीकृत हैं । इसके ब्यौरे **उपाबंध-6** पर दिए हैं।

****

उपाबंध –1

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 1038 जिसका उत्तर 3.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(i) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम- न्याय विभाग, वर्ष 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है । इस स्कीम के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां और न्यायालय हालों के सन्निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । केंद्र और राज्य के लिए इस स्कीम के अधीन निधि सांझा पैटर्न, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से भिन्न राज्यों के संबंध में 60:40 है और हिमालयी राज्यों के संबंध में निधि सांझा पैटर्न 90:10 है तथा संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में 100% है ।

न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपए होगा जिसके अंतर्गत 50 करोड़ रुपये का आबंटन ग्राम न्यायालय स्कीम के लिए है । न्यायालय हालों तथा आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों तथा डिजीटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा ।

(ii) ग्राम न्यायालय - नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिसूचित किया है । यह मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु उपबंध करता है । राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु जिम्मेदार है । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) की निबंधनानुसार राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु जिम्मेदार हैं । केंद्रीय सरकार की स्कीम "ग्राम न्यायालय की स्थापना और प्रचालन हेतु राज्यों को सहायता" के अधीन वित्तीय सहायता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात् ही मंजूर की जाती है । इस स्कीम को सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 50 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ बढ़ा दिया गया है ।

(iii) न्याय तक पहुंच के लिए अभिनव समाधान और समग्र दृष्टिकोण तैयार करना (दिशा) – न्याय विभाग ने एक स्कीम अर्थात् "न्याय तक पहुंच के लिए अभिनव समाधान और समग्र दृष्टिकोण तैयार करना (दिशा)" सामान्य नागरिकों को विधिक सहायता और न्याय तक पहुंच को समर्थ करने हेतु 2021-2026 की अवधि के लिए विरचित की है । दिशा, न्याय तक पहुंच के भिन्न – भिन्न संघटकों से मिलकर बनी है जैसे न्यायबंधु, न्यायमित्र और अखिल भारतीय स्तर पर विधिक साक्षरता और विधिक जागरुकता कार्यक्रमों का उपबंध करने के

अतिरिक्त न्याय परिदान करने में अंतरालों को भरने हेतु विभाग द्वारा टेलीविधि निष्पादित की जा रही है ।

(iv) त्वरित निपटान विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए स्कीम – न्याय विभाग त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए अक्तूबर, 2019 से केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत बलात्कार और पाक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान और विचारण हेतु विशिष्ट पाक्सो न्यायालयों, जो दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 और माननीय उच्चतम न्यायालय की स्व:प्रेरणा रिट याचिका 2019 का 1, तारीख 25.07.2019 के निदेशों के अनुसरण में, की स्थापना भी है । परियोजना की लागत 767.25 करोड़ थी जिसमें निर्भया निधि के अधीन केंद्रीय सहयोग के 474 करोड़ रुपये के साथ एक वर्ष के लिए, 2 वित्तीय वर्ष (2019-20 और 2020-21) से और बढ़ा दी गई है । इस स्कीम को 1572.86 करोड़ रुपये की कुल लागत पर दो और वर्षों 1.4.2021 से 31.3.2023 तक बढ़ा दिया गया है जिसमें 971.70 करोड रुपये का केंद्रीय हिस्सा होगा ।

(v) ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना - राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के भाग रुप में ई-न्यायालय परियोजना 2007 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के आधार पर भारतीय न्यायपालिका में आईसीटी के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभ की गई थी । भारत सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 18,735 की वृद्धि हुई है । 98.7% न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 साद्दश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । न्यायालय परिसरों में -235 ई - सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 15 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं ।

****

उपाबंध-2

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्रम संख्या	**उच्च न्यायालयों का नाम**
1.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
2.	कलकत्ता उच्च न्यायालय
3.	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
4.	तेलंगाना उच्च न्यायालय
5.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
6.	बम्बई उच्च न्यायालय
7.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
8.	दिल्ली उच्च न्यायालय
9.	गुजरात उच्च न्यायालय
10.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
11.	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
12.	झारखंड उच्च न्यायालय
13.	कर्नाटक उच्च न्यायालय
14.	केरल उच्च न्यायालय
15.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
16.	मणिपुर उच्च न्यायालय
17.	मेघालय उच्च न्यायालय
18.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
19.	राजस्थान उच्च न्यायालय
20.	सिक्किम उच्च न्यायालय
21.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय
22.	उत्तराखंड उच्च न्यायालय
23.	मद्रास उच्च न्यायालय
24.	उड़ीसा उच्च न्यायालय
25.	पटना उच्च न्यायालय

उपाबंध-3

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	राज्य	कुल जिले	कुल न्यायालय परिसर
1	अंदमान और निकोबार	1	4
2	आंध्र प्रदेश	13	187
3	असम	30	71
4	बिहार	37	79
5	चंडीगढ़	1	2
6	छत्तीसगढ	23	89
7	दिल्ली	1 1	12
8	दीव और दमण	2	2
9	सिलवासा में डीएनएच	1	2
10	गोवा	2	16
1 1	गुजरात	32	332
12	हरियाणा	21	58
13	हिमाचल प्रदेश	1 1	50
14	जम्मू - कश्मीर	20	81
15	झारखंड	24	24
16	कर्नाटक	30	204
17	केरल	15	165
18	लद्दाख	2	3
19	मध्य प्रदेश	50	225
20	महाराष्ट्र	40	478
21	मणिपुर	9	20
22	मेघालय	9	10
23	मिजोरम	3	9
24	नागालैंड	4	5
25	ओडिशा	30	122
26	पंजाब	22	68
27	राजस्थान	36	311
28	सिक्किम	4	9
29	तमिलनाडु	32	265
30	तेलंगाना	10	110
31	त्रिपुरा	8	24
32	उत्तर प्रदेश	74	169
33	उत्तराखंड	13	61
34	पश्चिमी बंगाल	22	89
कुल योग		**646**	**3356**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-4

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

29.11.2021 तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्त पद		
ए	उच्चतम न्यायालय	34			33			1		
बी	उच्च न्यायालय	स्थायी	अति	कुल	स्थायी	अति	कुल	स्थायी	अति	कुल
1	इलाहाबाद	120	40	160	75	20	95	45	20	65
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	18	0	18	10	9	19
3	बॉम्बे	71	23	94	49	1 1	60	22	12	34
4	कलकत्ता	54	18	72	31	9	40	23	9	32
5	छत्तीसगढ	17	5	22	10	3	13	7	2	9
6	दिल्ली	45	15	60	30	0	30	15	15	30
7	गुवाहाटी	18	6	24	18	6	24	0	0	0
8	गुजरात	39	13	52	32	0	32	7	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	10	3	13	8	1	9	2	2	4
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	13	0	13	0	4	4
11	झारखंड	19	6	25	19	1	20	0	5	5
12	कर्नाटक	47	15	62	40	6	46	7	9	16
13	केरल	35	12	47	29	12	41	6	0	6
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	30	0	30	10	13	23
15	मद्रास	56	19	75	45	15	60	1 1	4	15
16	मणिपुर	4	1	5	4	1	5	0	0	0
17	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18	ओडिशा	20	7	27	18	0	18	2	7	9
19	पटना	40	13	53	26	0	26	14	13	27
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	44	6	50	20	15	35
21	राजस्थान	38	12	50	28	0	28	10	12	22
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	19	0	19	13	10	23
24	त्रिपुरा	4	1	5	5	0	5	-1	1	0
25	उत्तराखंड	9	2	1 1	8	0	8	1	2	3
	कुल	**829**	**269**	**1098**	**605**	**91**	**696**	**224**	**178**	**402**

उपाबंध-5

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

29.11.2021 तक जिला और अधिनस्थ न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
1.	अंदमान और निकोबार	0	13	-13
2.	आंध्र प्रदेश	607	492	115
3.	अरुणाचल प्रदेश	41	32	9
4.	असम	467	436	31
5.	बिहार	1953	1405	548
6.	चंडीगढ़	30	30	0
7.	छत्तीसगढ	482	411	71
8.	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
9.	दमण और दीव	4	4	0
10.	दिल्ली	862	691	171
11.	गोवा	50	40	10
12.	गुजरात	1523	1129	394
13.	हरियाणा	772	482	290
14.	हिमाचल प्रदेश	175	164	1 1
15.	जम्मू - कश्मीर	300	243	57
16.	झारखंड	675	523	152
17.	कर्नाटक	1361	1082	279
18.	केरल	569	490	79
19.	लद्दाख	17	9	8
20.	लक्षद्वीप	3	3	0
21.	मध्य प्रदेश	2021	1555	466
22.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23.	मणिपुर	59	42	17
24.	मेघालय	97	49	48
25.	मिजोरम	64	42	22
26.	नागालैंड	34	24	10
27.	उड़ीसा	976	790	186
28.	पुदुचेरी	26	1 1	15
29.	पंजाब	692	608	84
30.	राजस्थान	1547	1274	273
31.	सिक्किम	28	20	8
32.	तमिलनाडु	1315	1052	263
33.	तेलंगाना	474	359	115
34.	त्रिपुरा	121	97	24
35.	उत्तर प्रदेश	3634	2559	1075
36.	उत्तराखंड	299	271	28
37.	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कुल		**24485**	**19292**	**5193**

स्रोत:- डीओजे का एमआईएस पोर्टल

उपाबंध-6

लंबित मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर तारीख 03.12.2021 को दिया जाना है, के भाग (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	राज्य विधिज्ञ परिष्द	अधिवक्ताओं की कुल संख्या
1.	असम	**37326**
2.	आंध्र प्रदेश	**72719**
3.	तेलंगाना	**40531**
4.	बिहार	**127501**
5.	छत्तीसगढ	**30103**
6.	दिल्ली	**50317**
7.	गुजरात	**103390**
8.	हिमाचल प्रदेश	**9075**
9.	झारखंड	**31248**
10.	कर्नाटक	**102083**
11.	केरल	**57671**
12.	मध्य प्रदेश	**112390**
13.	महाराष्ट्र और गोवा	**191394**
14.	ओडिशा	**56344**
15.	पंजाब और हरियाणा	**117423**
16.	राजस्थान	**88999**
17.	तमिलनाडु	**110843**
18.	उत्तर प्रदेश	**400016**
19.	उत्तराखंड	**17200**
20.	पश्चिमी बंगाल	**86555**
21.	जम्मू - कश्मीर	**10589**
22.	त्रिपुरा	**1409**
23.	मणिपुर	**1676**
24.	मेघालय	**821**
कुल		**1857623**

स्रोत:- भारतीय विधिज्ञ परिष्द

****